बजट 2002-2003

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**पैरा सं. 10:** स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दशाओं का नियमन जारी रखते हुए नई दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता पर प्रतिबंध हटाने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश (एमएमपीओ) में संशोधन किया जाएगा।	दूग्ध तथा दूग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में 26 मार्च, 2002 को संशोधन किया गया है। नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पंजीकरण की आवश्यकता केवल गुणवत्ता मानकों के अनुरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए होगी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
2.	**पैरा सं. 10:** विभिन्न कृषि उपस्कर मदों से संबंधित लघु उद्योग आरक्षणों को हटाया जाएगा।	कृषि उपस्करों की दस मदों को दिनांक 20 मई 2002 की अधिसूचना के तहत अनारक्षित कर दिया गया है। यह निर्णय किया गया है कि कृषि उपस्करों की शेष 25 मदों को फिलहाल आरक्षित रहने दिया जाए क्योंकि ये मदें अत्यंत सरल प्रकृति की हैं; वर्तमान में लघु उद्योग फर्मों द्वारा बड़ी प्रमात्राओं में उत्पादित की जाती है तथा लघु उद्योग क्षेत्र की वर्तमान उच्चतम सीमा के अन्दर इसका सरलता से विनिर्माण किया जा सकता है।
3.	**पैरा सं. 10:** कृषि वस्तुओं के निर्यात को सारणीबद्धता से हटाया जाएगा और शेष निर्यात नियंत्रण क्रमिक रूप से हटाए जाएंगे।	वर्तमान में प्याजों तथा नाइजर के बीज के सिवाए किसी कृषि मद के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्याज के निर्यात पर उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 7 लाख मी. टन कर दिया गया है जिससे प्याज का निर्यात वस्तुतः स्वतंत्र हो गया है क्योंकि ये निर्यात कभी भी 5 लाख मी. टन से अधिक नहीं रहे।
4.	**पैरा सं. 10:** सभी कृषि वस्तुओं को शामिल करने के लिये भावी और वायदा व्यापार का विस्तार किया जाएगा।	भावी व्यापार के लिए प्रतिषिद्ध 81 कृषीय वस्तुओं में से, 16 अगस्त, 2002 को 27 वस्तुओं को "स्वतंत्र वस्तुओं" के रुप में अधिसूचित कर दिया गया है। शेष 54 वस्तुओं पर से प्रतिषेध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय टिप्पणी विचाराधीन है। सरकार ने नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. अहमदाबाद (जिसे पहले आनलाईन कमोडिटी एक्सचेंज आफ इण्डिया लि. (ओसीईआईएल) के नाम से जाना जाता था) को स्थायी आधार पर राष्ट्रीय वस्तु विनिमय का स्तर प्रदान कर दिया है। सिद्धांततः अनुमोदन तीन एक्सचेंजों को प्रदान किया गया है, नामतः नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड (एनबीओटी) इंदौर, आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्वाधीन संकाय, मुम्बई तथा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमएसीएक्स) ऑफ इण्डिया लि., मुम्बई।
5.	**पैरा सं. 11:** खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश, औद्योगिक मानक ब्यूरो और एम.एम.पी.ओ. के अधीन खाद्य मानकों के लिये अनेक विनियमों से खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्रक प्रभावित हैं। इनके आधुनिकीकरण और एकीकरण की आवश्यकता है। एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून एवं संबंधित विनियमों को	आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून एवं संबंधित विनिमय तैयार करने के लिए विधान का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	तैयार करने के लिए कानूनी और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक दल के गठन का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है।	
6.	**पैरा सं. 12:** संभावित प्रसंस्करणकर्त्ताओं को सीधे ही बिक्री करने के लिए किसानों को समर्थ बनाने हेतु कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों के संशोधन से उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और संभावित नए बाजारों में पहुंचने में मदद मिलेगी।	कृषि उत्पाद विपणन/विनियमन अधिनियम का संशोधन राज्य सरकार/संघशासित प्रदेशों के प्रशासन के क्षेत्राधिकारांतर्गत है। कृषि विपणन क्षेत्र के सुधारों को त्वरित करने के लिए 13.11.2002 को माननीय राज्य मंत्री (कृषि) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। स्थायी समिति ने संकल्प किया है कि राज्य यथावश्यक अपने संबंधित कृषि विपणन अधिनियमों में संशोधन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों को मार्गदर्शित करने के लिए एक आदर्श विधान का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।
7.	**पैरा सं. 12:** ऐसे राज्य नियंत्रण आदेश जो अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए बाधक बने हुए हैं, को हटाने की आवश्यकता है।	दलहनों, गुड़, वनस्पति तथा गेंहूं उत्पादों के लिए प्रतिबंधों को हटाया जाना राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।
8.	**पैरा सं. 12:** केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में अतिरिक्त आवंटनों को राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्रक के अनियंत्रण एवं अविनियमन से संबद्ध किया जाएगा।	बाजार अवसंरचना के विकास, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण की एक नई ऋण सहबद्ध आर्थिक राजसहायता योजना का निर्माण किया गया है। वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अवसंरचना के विकास में निजी एवं सहकारी क्षेत्रक निवेश को अनुमति देने के लिए प्रस्तावित योजना के तहत आर्थिक राजसहायता को सुधार करने वाले राज्य/संघशासित प्रदेशों से संबद्ध किया जाएगा। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु अपना "सिद्धांततः अनुमोदन" संसूचित कर दिया है। इस तथ्य के मद्देनजर कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किए गए हैं कि योजना को अभी अधिसूचित किया जाना है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
9.	**पैरा सं. 14:** ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ-VIII) की धनराशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 5,500 करोड़ रुपए की जाएगी और ब्याज दर 10.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत की जाएगी। आगे से यह दर विद्यमान बैंक दर + 2 प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी।	ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि =??? की संचित निधि को बढ़ा दिया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2002 से लिए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
10.	**पैरा सं. 14:** आरआईडीएफ से राज्यों को सहायता कृषि और ग्रामीण क्षेत्रकों में सुधारों से संबद्ध की जाएगी।	ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि-VIII के लिए 5500 करोड़ रुपए की निधि में से 1100 करोड़ रुपए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार से जुड़े हैं जिनका अनुपालन सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को करना है। नाबार्ड ने सुधारों को संबद्ध करने संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया है और राज्यों के बीच सुधारों से संबद्ध निधियों के आवंटन के

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		लिए दर निर्धारण माड्यूल की युक्ति तैयार की गई है। नाबार्ड ने 23.11.2002 को दर निर्धारण माड्यूल को अनुमोदित कर दिया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
11.	**पैरा सं. 14:** वर्ष 2002-2003 के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूह का लक्ष्य बढ़ाकर 1.25 लाख किया जाएगा।	यह लक्ष्य नाबार्ड/सिडबी को संसूचित कर दिया गया है। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार, 69,671 स्व-सहायता समूह वर्ष 2002-2003 के दौरान पुनःवित्तपोषण सहायता के लिए संबद्ध किए गए है।
12.	**पैरा सं. 14:** छोटे और सीमांत कृषकों के लिए ऋणों को शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष एकबारगी भुगतान स्कीम की घोषणा की जाएगी।	भा.रि. बैंक ने 22 मार्च, 2002 को योजना की घोषणा करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
13.	**पैरा सं. 15:** कृषि बीमा के लिए एक नए निगम को विद्यमान सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा चलाया जाएगा।	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत 20.12.2002 को किया गया है। यह कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा संवर्धित है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
14.	**पैरा सं. 16:** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 2800 करोड़ रुपए किया जाना है। इससे राज्यों को अपनी अपूर्ण, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और वह उपभोक्ता शुल्कों का संशोधन तथा जल उपभोक्ता संघों की स्थापना के द्वारा सुधार कार्य भी कर सकेंगे।	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2800 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें फास्ट ट्रैक परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें राज्यों को अपनी अपूर्ण, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए मानदंड उन राज्यों के संबंध में भी शिथिल कर दिए गए हैं जो पांच वर्षों की अवधि के भीतर अपनी जल दरें संशोधित करने पर सहमत हों ताकि सभी श्रेणी की परियोजनाओं के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण लागतों को पूरा किया जा सके। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
15.	**पैरा सं. 17:** कृषि अनुसंधान के प्रशासन की संपूर्ण पुनरीक्षा का भी प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह प्रणाली सृजनात्मक रूप से नई आवश्यकताओं को पूरा कर सके।	भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के ढांचे की पुनरीक्षा की गई है। हेमंत कुमार समिति (भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के प्रशासन व प्रबंधन के लिए प्रभावशाली, सुस्पष्ट और गतिशील प्रणाली की स्थापना के मार्ग सुझाने; विभिन्न विभागों के वैज्ञानिक अनुवीक्षण में सुधार करने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के बीच संबंध की जांच करने तथा अनुसंधान प्रणाली में मानव संसाधनों में सुधार करने के प्रयोजनार्थ गठित) ने 31.12.2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
16.	**पैरा सं. 18:** अनुसंधान एवं विस्तार प्रणालियों की गुणवत्ता एवं कारगरता सुधारने के लिए अनुसंधान एवं विस्तार के	विस्तार प्रणाली को पुनः सक्रिय करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रशासनिक नियंत्रण

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, किसान संगठनों, सहकारिताओं, निगमित क्षेत्रक और कृषि व्यापार क्लिनिकों के माध्यम से विस्तार प्रणाली को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाएगा। जैविक उत्पादों, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशियों सहित गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया जाएगा। ऐसी सहकारिताओं/कंपनियों के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति, कृषि प्रसंस्करण एवं व्यापार को "नाबार्ड" की सहायता से ऋण की उपलब्धता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (जो मुख्यतया एक अनुसंधान संगठन है) से कृषि और सहकारिता विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए जो कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा जैविक प्रमाणन में प्रभावी होने से पहले मानक निरीक्षण प्रक्रियाओं का विकास करना होगा।
17.	**पैरा सं. 19:** कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तक ऐसे 15 क्षेत्रों का अनुमोदन कर दिया गया है। इन कृषि निर्यात क्षेत्रों में आधार सुविधाओं के विकास में तेजी लाने एवं यूनिटों को ऋण प्रदान करने के लिये "अपेडा" (कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) कार्य करेगा।	दिसंबर, 2002 तक 17 राज्यों में 41 कृषि निर्यात क्षेत्र प्रचालित कर दिये गये हैं। इसमें लगभग 1142.53 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश शामिल है जिसमें से 333.68 करोड़ रुपए विभिन्न केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
18.	**पैरा सं. 20:** हमारे सभी गांवों को सभी मौसमों में चालू सड़कों से जोड़ने के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु वर्ष 2002-2003 के लिये 2500 करोड़ रूपए का और आबंटन किया जा रहा है। इन कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों, जिसमें वर्ष के दौरान बहुक्षेत्रीय स्रोतों से मिलने वाले संसाधन भी शामिल हैं, की व्यवस्था भी की जाएगी।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2002-2003 के बजट में आवंटित राशि के लिए परियोजना प्रस्ताव वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत कर दिए गए थे। ये सड़क निर्माण-कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके 2002-2003 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इनके लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी निधिपोषण की संभावना तलाशने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से विचार विमर्श किया गया है। दोनों एजेंसियों ने इस कार्यक्रम के निधिपोषण की सिद्धांततः सहमति दी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
19.	**पैरा सं. 21:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिये ऋण चुकाना मुश्किल होता है, सरकार का प्रस्ताव त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू करने का है। वर्ष 2002-2003 में इस स्कीम के लिये 164 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।	इस योजना के अंतर्गत दलित बस्तियों सहित अविद्युतीकृत गावों के विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों हेतु ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ऋणों के संवितरण के पश्चात निवल वर्तमान मूल्य पर ब्याज सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी। ब्याज सब्सिडी को 4 प्रतिशत रखना प्रस्तावित है। मंत्रियों के समूह ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2002-2003 के लिए संपूर्ण बजटीय परिव्यय चालू वर्ष के दौरान उपयोग किया जाएगा क्योंकि कई राज्यों में कार्य चल रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
20.	**पैरा सं. 22:** वर्ष 2001 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गयी थी जिसके लिये चालू रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) को एक	एसजीआरवाई 25 सितम्बर, 2001 से प्रचालनाधीन है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	में मिला दिया गया था। यह स्कीम अगले वर्ष भी जारी रखी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत दिये जा रहे मुफ्त खाद्यान्न का पूरा फायदा उठाने के लिये आगे आने हेतु मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूँ।	
21.	**पैरा सं. 23:** देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिये जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना(जे.पी.आर.जी. वाई.) शुरू की जाएगी। इन जिलों में रोजगार उत्पन्न करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य-बल का गठन भी किया जाएगा।	ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया है। कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, जेपीआरजीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की गई है और इसे संबंधित मंत्रालयों में परिचालित कर दिया गया है। उपाध्यक्ष, योजना आयोग से विचार विमर्श करने के बाद, योजना का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण योजना आयोग को भेजा गया था। योजना आयोग की टिप्पणियों की पड़ताल की जा रही है।
22.	**पैरा सं. 24:** ग्रामीण औद्योगिकीकरण के संवर्द्धन के लिए 1935 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये वर्धा संस्थान का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नयन किया जाएगा जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान कहा जाएगा।	जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का नाम बदल कर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान कर दिया गया है और यह एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
23.	**पैरा सं. 25:** बाजार में बिक्री के लिये समुचित आधार सुविधाओं के बिना कृषि का विविधीकरण सफल नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे. जी.एस.वाई.) नामक विशेष स्कीम के अंतर्गत जिला एवं ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण उत्पाद विपणन केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना तथा ग्रामीण हाटों को उन्नत बनाने के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों, सहकारिताओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाएगी।	वर्ष 2002-03 के दौरान, इस संघटक के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का उपयोग विद्यमान एसजेजीएसवाई कार्यक्रम के भाग के रूप में, जहाँ विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे और विपणन संपर्कों को प्राथमिकता दी गई है, विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे को स्वीकृति देने और विपणन संपर्कों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। सहकारी-समितियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता इस शर्त पर प्रदान की जा रहीहै कि सहकारी समितियों के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य एसजीएसवाई स्वरोजगारी होने चाहिएं। एसजीएसवाई विशेष परियोजना के तहत भी, राज्यों को विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास स्वीकृत किया जा रहा है। योजना के आरंभ होने के समय से, विभिन्न राज्यों को विपणन संबंधी परियोजनाओं के लिए 93.50 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
24.	**पैरा सं. 26:** प्राकृतिक संकटापन्न क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत गरीबों द्वारा बनाये गये मकानों के लिये अब आगे से मास्टर पालिसी के जरिये बीमा "कवर" प्रदान किया जाएगा।	योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। विस्तृत प्रस्ताव 31 अक्तूबर, 2002 को हुई बैठक में सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। समिति को आशंका थी कि बीमा नीति के जरिए निधियाँ संभवतः समुचित रूप से लाभानुभोगियों तक नहीं पहुंच पायेंगी और यह अधिक उचित होगा कि निधियां सरकारी एजेन्सियों के जरिए लाभानुभोगियों को सीधे पहुंचाई जाएं जैसा कि आईएवाई

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2002-03 से आईएवाई के तहत निधियों का 5 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों के मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया है। जब भी आपातकालीन स्थितियों में घरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) उपलब्ध कराई जाती है, इसमें आईएवाई के घर भी शामिल होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, आईएवाई के तहत बीमा कवरेज के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
25.	**पैरा सं.27:** दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति संबंधी उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की प्रत्याशा है। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन हेतु हम अधिक स्थायी उपाय तैयार करेंगे।	दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति संबंधी उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई, 2002 को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।
26.	**पैरा सं.31:** राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त दल ने निर्दिष्ट कार्यनिष्पादन मानदण्ड की प्राप्ति और भविष्य में वर्तमान देयताओं के पूर्ण भुगतान करने के अधीन प्रतिभूतिकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कर-मुक्त बाण्ड जारी करने के माध्यम से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की उपयोगी सेवाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की अतिदेय बकाया राशियों के संबंध में एकमुश्त निपटान स्कीम के लिए सहमति दी है। राज्यों को आगे आकर शीघ्रतापूर्वक स्कीम का कार्यान्वयन करना होगा।	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुरानी बकाया राशियों का कर-मुक्त बाण्ड जारी करके प्रतिभूतिकरण सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय करार तैयार किया गया है। अभी तक 22 राज्यों ने करार पर हस्ताक्षर किया है। विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य विद्युत बोर्डो द्वारा वर्तमान देयताओं का भुगतान पहले लगभग 70 प्रतिशत से सुधर कर त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 90 प्रतिशत हो गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
27.	**पैरा सं.32:** एपीडीपी को वर्ष 2002-03 के लिए 3500 करोड़ रुपए के वर्धित आयोजना आबंटन के साथ त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के रूप में पुनः तैयार किया जा रहा है। निधि तक राज्यों की पहुंच सहमत्य सुधार कार्यक्रम के आधार पर होगी, जिसका केंद्र बिंदु निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आपूर्ति की इकाई लागत और राजस्व वसूली के बीच अंतर को कम करना और अंततः समापन होगा। तदनुसार, सुधार का ध्यान उत्पादन से पारेषण और वितरण की ओर अंतरित हो गया है।	दिनांक 10.2.2003 की स्थिति के अनुसार 7386.81 करोड़ रुपए की एपीडीआरपी सहायता के साथ एपीडीपी के अधीन 13,703.16 करोड़ रुपए मूल्य की 332 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। अभी तक 1087.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 24 राज्यों ने क्षमता और लागत में कमी लाने के उपाय करने, फीडर और सर्किल स्तर पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक पुनर्सरंचना; 100 प्रतिशत मीटरिंग; ऊर्जा लेखापरीक्षा करने और वाणिज्यिक तथा तकनीकी हानियों को समाप्त करने/कम करने की सहमति देते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एपीडीआरपी के अधीन की जाने वाली पहल के फलस्वरूप कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने चोरी-रोधी विधान अधिनियमित किया है। महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार ने चोरी-रोधी प्रावधान हेतु विधान बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	पैरा सं.33: एक उच्च-स्तरीय मानीटरिंग दल इस कार्यक्रम की प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा। इस कार्यक्रम के लिए आबंटन पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) से रियायती शर्तों पर ऋण देकर बढ़ाया जाएगा।	विद्युत मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय एपीडीआरवी मॉनीटरिंग समिति कार्यक्रम की मानीटरिंग और मूल्यांकन कर रही है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
28.	**पैरा सं.34:** प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम सड़क क्षेत्रक में पूर्णतः एक नया परिदृश्य प्राप्त करने का वचन देता है। स्वर्ण चतुर्भुज दिसम्बर, 2003 तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जाएगा, जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कारिडोर की लंबाई 7300 किलोमीटर है, जिसमें से 716 किलोमीटर को पहले ही चार लेन वाला बना दिया गया है। बहुपक्षीय निधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सरकारी गारंटी के साथ अन्य उधारों और अन्य अभिनव वित्तपोषण स्कीमों की सहायता से इस चरण के लिए निधिकरण की वर्ष 2002-03 तक पूर्णतः व्यवस्था कर ली जाएगी।	एनएचडीपी की कुल लंबाई 13,146 किलोमीटर है, जिसमें से स्वर्ण चतुर्भुज (स्व.च.) 5,846 किलोमीटर और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम (उदपूण) कारिडोर 7,300 किलोमीटर है। स्वर्ण-चतुर्भुज (स्व.च.) का 1327 किलोमीटर पूरा हो चुका है और 4383 किलोमीटर कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है। शेष 136 किलोमीटर के निर्माण के लिए ठेका अभी दिया जाना है। स्वर्ण चतुर्भुज (स्व.च.) पर्याप्त रूप से दिसम्बर, 2003 तक पूरा किया जाना लक्षित है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम (उदपूप) कारिडोर का 442 किलोमीटर स्वर्ण चतुर्भुज (स्व.च.) के साथ साझा है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम के 616 किलोमीटर को 4 लेन वाला बनाया जा चुका है और शेष 430 किलोमीटर कार्यान्वयनाधीन है। शेष 5812 किलोमीटर के निर्माण के लिए ठेका अभी दिया जाना है। कारिडोर को दिसम्बर, 2007 तक पूरा किया जाना लक्षित है। स्वर्ण चतुर्भुज (स्व.च.) के अधीन 4993 किलोमीटर उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम (उदपूप) के अधीन 671 किलोमीटर और पत्तन संपर्क सहित अन्य सड़कों को शामिल करते हुए एनएचडीपी की 6359 किलोमीटर लंबाई के फेज-I के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था कर ली गई है। उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम (उदपप) के 6251 किलोमीटर और 625 किलोमीटर की अन्य सड़कों सहित 6876 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले एनएचडीपी के फेज-II के लिए अपेक्षित 35314 करोड़ रुपए की राशि के लिए निधियों की व्यवस्था की जा रही है।
29.	**पैरा सं.35:** बड़े पत्तनों का चरणबद्ध तरीके से निगमीकरण करना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्रक के निवेशों की सुविधा प्रदान की गई है और 4500 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और 3200 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य 8 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। विद्यमान पत्तनों के निगमीकरण और नए निजी क्षेत्रक के पत्तनों के बनने से विनियामक संरचना सुदृढ़ हो जाएगी।	सरकार ने बड़े पत्तनों के चरणबद्ध निगमीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन कार्यरत 11 बड़े पत्तनों का निगमीकरण समर्थ बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 दिनांक 31.8.2001 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हैं। यह विधेयक इस समय परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है और समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। न केवल बड़े पत्तनों बल्कि अन्य पत्तनों, जो राज्य सरकार के अधीन हैं, के लिए भी टैरिफ निर्धारण प्राधिकारी से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की भूमिका अपीलीय प्राधिकरण में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। यह मामला विचाराधीन है।
30.	**पैरा सं.36:** दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को निजी क्षेत्रक प्रबंधन और	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों को विश्व श्रेणी के मानकों तक उन्नत करने के लिए दीर्घकालिक

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	दीर्घकालिक पट्टाकरण प्रणाली के माध्यम से निवेश शामिल करते हुए विश्व श्रेणी के विमानपत्तनों के मानकों तक उन्नत किया जाएगा। यह प्रक्रिया वर्ष 2002-2003 में पूरी होगी।	पट्टाकरण माध्यम से पुनर्संरचित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पट्टाकरण के लेन-देन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अधिनियम, 1994 में समर्थकारी उपबंध सम्मिलित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एक संशोधित विधेयक तैयार किया गया है। पट्टाकरण माध्यम के अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से विमानपत्तनों की पुनर्संरचना का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।
31.	**पैरा सं.37:** निम्नलिखित रियायतों के द्वारा ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगाः	सरकार हैदराबाद के समीप शमशाबाद, बंगलौर के समीप देवनहल्ली और गोवा में मोपा में निजी क्षेत्रक भागीदारी के अधीन संयुक्त उद्यम के माध्यम से ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के निर्माण के लिए "सिद्धांततः" अनुमोदन दे चुकी है।
	■ राज्य सरकार से भूमि एवं संबंधित आधार सुविधाओं की उपलब्धता;	■ आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ने भूमि और विद्युत, जलापूर्ति, सड़कें आदि जैसी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।
	■ केन्द्रीय बिक्री कर दर से विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर लगाने वाले राज्यों में स्थित परियोजनाओं के संबंध में बाहर जाने वाले यात्रियों पर अंतर्देशीय विमान यात्रा कर और विदेशी यात्रा कर लगाने से छूट;	■ ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में आईएटीसी और एफटीटी लगाने से छूट का मामला तभी उत्पन्न होगा जब ये विमानपत्तन प्रचालनात्मक हो जाएंगे।
	■ ग्रीनफील्ड (संभावित विकास क्षमता वाले) विमानपत्तन के वित्तपोषण में सहायता के लिए विद्यमान विमानपत्तनों पर अतिरिक्त यात्री सेवा शुल्क के रूप में अग्रिम विकास शुल्क लगाना;	■ भारतीय विमानपत्तम प्राधिकरण के अधीन एक विमानपत्तन विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें होने वाली प्राप्तियों का प्रयोग ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के निर्माण के लिए ऋण देने अथवा इन ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के निर्माण में लगी कंपनी की इक्विटी में भाग लेने के लिए किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को एएआई अधिनियम, 1994 के संशोधन के लिए तैयार किए जा रहे संशोधित विधेयक में भी शामिल किया जा रहा है।
	■ नए विमान पत्तनों पर उपभोक्ता विकास शुल्क लगाना;	■ नए विमानपत्तनों के चालू/प्रचालनात्मक होने के बाद प्रस्थान करने वाले यात्रियों पर पूर्व-निर्धारित/ विनियमित दर पर यूडीएफ लगाया जा सकता है।
	■ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता/ इक्विटी भागीदारी;	■ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देवनहल्ली और शमशाबाद में ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के प्रवर्त्तकों के साथ अलग से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रत्येक परियोजना में 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन 13% इक्विटी धारित करेगा।
32.	**पैरा सं. 39:** राज्यों को सुधारों से संबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) स्थापित	योजना आयोग ने शहरी जनसंख्या में प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर राज्य-वार आवंटन निर्धारित किया है और वार्षिक योजना का आकार नियत करने के समय उसे

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	की जाएगी। यह निधि निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों को प्रोत्साहित करेगीः- * किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार और शहरी भूमि हदबंदी कानूनों को रद्द करना। * उच्च स्टाम्प शुल्क प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना। * भवन निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उप-नियमों में संशोधन। * शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल कानून के अनुरूप नगरपालिका कानूनों में संशोधन। * कृषि वाली भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने हेतु कानूनी एवं प्रक्रियात्मक ढांचों का सरलीकरण। * शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शुल्क लगाना और संसाधन जुटाना। * नागरिक सेवाओं के प्रावधान में सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करना।	राज्यों के संसाधनों में शामिल किया है। निर्गमन की प्रक्रिया केन्द्र सरकार के साथ करार ज्ञापन करते हुए अलग-अलग राज्यों द्वारा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकारों को यह वर्णन करते हुए कि वे प्रारंभ में शहरी सुधारों को कम से कम कुछ क्षेत्रों को हाथ में लेंगें अगर वे एक संक्षिप्त करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं, इस निधि को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय कई राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है।
33.	**पैरा सं. 40:** एक प्रोत्साहन आधारित सुविधा के रूप में शहर चुनौती निधि (सीसीएफ) की भी स्थापना की जाएगी, जो नगरपालिका प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने की सक्षम एवं विश्वसनीय सांस्थानिक प्रणालियों की दिशा में चलने की संक्रमण लागत के निधिपोषण के लिए शहरों को सहायता प्रदान करेगी। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय रूप से सक्षम परियोजनाओं को विकसित करने की लगात के आंशिक वित्तपोषण में सहायता प्रदान करेगी।	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद ने शहर चुनौती निधि (सीसीएफ) तैयार करने के लिए एक प्रारूप नीति रिपोर्ट तैयार की है और उसे शहरी विकास मंत्रालय को परिचालित किया है। इस स्कीम के दिशानिर्देश उन्नत चरण पर हैं। एएससीआई से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार मांगे जाएंगे। यह स्कीम वर्ष 2003-2004 में प्रचालनरत होने की प्रत्याशा है।
34.	**पैरा सं. 40:** उपयुक्त और विश्वसनीय आधार पर बाजार उधार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों को सहायता देने हेतु ऋण वर्धन प्रदान करने के लिए एक समूहबद्ध वित्त विकास स्कीम गठित करने का भी प्रस्ताव है।	स्कीम के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किया गया है और योजना आयोग का "सिद्धांततः" अनुमोदन मांगा गया है।
35.	**पैरा सं. 40:** उधार के पात्र बनने और शहरी आधार सुविधाओं में निवेश करने के योग्य बनने के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु और प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष के 200 करोड़ रुपए की तुलनामें 500 करोड़ रुपए तक के नगर पालिका कर मुक्त बांडों को जारी किया जाएगा।	इस प्रावधान के बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है तथा उनसे तदनुसार प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। नासिक नगरपालिका से प्राप्त एक प्रस्ताव, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के विचाराधीन है।
36.	**पैरा सं. 41:** निम्नलिखित व्यापक पर्यटन विकास पैकेज को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया जाता है : * वर्ष 2002-2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए 6 पर्यटन सर्किटों का पता लगाया जाएगा।	 * 2002-03 के दौरान विकसित करने हेतु 6 पर्यटन सर्किटों की पहचान कर ली गई है। इन पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में मार्गनिदेश जारी कर दिये गए हैं।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	* इन सर्किटों में आधार सुविधा विकास के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रक दोनों से संसाधन जुटाने हेतु विशेष प्रयोजन वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी।	* एक बार मुख्य संरचनात्मक परियोजनाओं के आरंभ कर दिए जाने के पश्चात, स्थान-प्रबंधन हेतु विशेष प्रयोजन वाले वाहनों (एसपीवी) की रूप रेखा तैयार की जाएगी।
	* एक विशेष क्षेत्र के रूप में हम्पी के विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरिटेज) स्थल को एकीकृत मास्टर प्लान पर आधारित पर्यटन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।	* हम्पी को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए बहुत से उपाय शुरू किए गए हैं। इस परियोजना को कर्नाटक की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। पर्यटन केन्द्र विकास योजना के अंतर्गत कर्नाटक में हम्पी के विकास के लिए 4.95 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा पहली किश्त के रूप में एक करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस कार्य के अंतर्गत हम्पी में एक शापिंग-कम-इंटरप्रिटेशन सेंटर-कम-पार्किंग नोड का निर्माण करना भी शामिल है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
37.	**पैरा सं. 43ः** आधार सुविधा परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश प्रदान करने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक आधार सुविधा इक्विटी निधि की स्थापना की जाएगी। आधार सुविधा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) द्वारा व्यवस्था की जाने वाली इस निधि के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा प्रारंभिक अंशदान किया जाएगा।	आधार-सुविधा विकास वित्त कंपनी लि. (आईडीएफसी) द्वारा एक संकल्पना पत्र तैयार किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस निधि में 100 करोड़ रुपए का अंशदान करने की सहमति दी है तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी इतना ही अंशदान दिए जाने की संभावना है ताकि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा सके।
38.	**पैरा सं. 43ः** 250 करोड़ रुपए से अधिक की आधार सुविधा परियोजनाओं के ऋण वित्तपोषण को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा समन्वित करने के लिए एक सांस्थानिक कार्यप्रणाली स्थापित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रकों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व की साझेदारी आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. के साथ करते हुए आईडीएफसी एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा।	आधार-सुविधा विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) द्वारा एक संकल्पना पत्र तैयार किया गया है। आईएफडीसी, आईडीबीआई, एसबीआई,आईएफसीआई तथा एलआईसी जैसे भागीदारी संस्थानों द्वारा ऋण वित्तपोषण के समन्वय के लिए एक नए बेहतर तंत्र की स्थापना की संभावना को मूल्यांकन किया जा रहा है।
39.	**पैरा सं. 43ः** आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए एक कार्यबल द्वारा कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।	सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से आधार सुविधाओं के विकास के लिए बोली/संविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रक में कम से कम एक परियोजना के लिये संविदा ढ़ाचा तैयार करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों के साथ, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रक में गहन विचार विमर्श करके ही किया जा चुका है।
40.	**पैरा सं.45ः** निवेशकों को अपने निवेशों की बेहतर योजना बनाने तथा बाजार में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम केलेंडर की घोषणा करेगा।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2003-03 के लिए दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित केलेंडर जारी कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
41.	**पैरा सं. 45:** सभी राज्य विधानसभाओं से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् संसद के इसी सत्र के दौरान पुराने सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1949 को एक नए सरकारी प्रतिभूति विधेयक से प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया जाता है।	संसद के आगामी बजट सत्र में इस विधेयक के पेश किए जाने की संभावना है।
42.	**पैरा सं.46:** स्टाक एक्सचेंजों के पृथक् स्वामित्व, प्रबंध और प्रचालन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों के पृथक स्वामित्व और निगमीकरण की प्रक्रिया इस वर्ष पूर्ण हो जाने की संभावना है।	स्टाक एक्सचेंजों के पृथक स्वामित्व के बारे में न्यायमूर्ति एम.एच.कानिया समिति की सिफारिशों को सेबी बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसमें विधायी संशोधनो की आवश्यकता होगी।
43.	**पैरा सं. 46:** निवेशकों की सुरक्षा तथा पूंजी बाजार के विनियामक के रूप में "सेबी" की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए संसद के बजट सत्र के दौरान "सेबी" अधिनियम, 1992 में कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा।	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम,2002 को संसद के शीतकालीन सत्र 2002 में पारित कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
44.	**पैरा सं. 46:** लेखा संबंधी मानकों और लेखा-परीक्षकों की प्रभावकारिता के संबंध में विदेशों में और देश के भीतर हुए घटनाक्रम को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र के विनियमन को मजबूत बनाया जाए।	निगमित लेखा परीक्षा तथा शासन संबंधी श्री नरेश चन्द्र समिति ने दिनांक 23.12.2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि अभी विचाराधीन हैं। विनियात्मक शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता है जिन्हें संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
45.	**पैरा सं. 46:** विदेशी सांस्थानिक निवेशक पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के अधीन किसी कंपनी में एक विशेष संकल्प के तहत शेयरधारकों के सामान्य निकाय के अनुमोदन से कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक का निवेश कर सकते हैं। प्रस्ताव है कि अब विदेशी सांस्थानिक निवेशकों का पोर्टफोलियो निवेश विनिर्दिष्ट क्षेत्रकों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये क्षेत्रकीय सीमाओं के अधीन नहीं होगा। इस संबंध में अलग से मार्ग निर्देश जारी किये जायेंगे।	डॉ. ए.के. लाहड़ी की अध्यक्षता में समिति का पुर्नगठन किया गया है जो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी जिनमें विदेशी सांस्थानिक निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेशों पर एफडीआई की क्षेत्रीय सीमाएं लागू नहीं होंगी।
46.	**पैरा सं.48:** यू एस-64 स्कीम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट में सुधार लाने के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है जिसका प्रयोजन प्रणालीगत सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के हितों का सामंजस्य बनाए रखना है। यूएस-64 को एनएवी आधारित बनाने के लिए काफी समय से लम्बित सुधार को क्रियान्वित कर दिया गया है। यूटीआई अधिनियम में आगे विधायी परिवर्तन लाने के लिए वर्ष के दौरान अन्य आवश्यक सुधार उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं।	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 को संसद के शीतकालीन सत्र, 2002 में पारित कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
47.	**पैरा सं. 49:** बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के मोचन निषेध और प्रवर्त्तन के माध्यम से ऋणदाता को	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को संसद द्वारा

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	मजबूती प्रदान करने हेतु, संसद में बैंकिग क्षेत्र सुधार सम्बन्धी एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक दीर्घकालिक ऋणों में रुद्ध पूंजी के सम्बन्ध में प्रतिभूतिकरण को भी सक्षम बनाएगा।	पारित कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
48.	**पैरा सं.49:** जमा बीमा ऋण तथा गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को बैंक जमा बीमा निगम (बीडीआईसी) में रूपान्तरित किया जाएगा ताकि इसे वित्तीय क्षेत्र में जमाकर्ताओं के जोखिमों से निपटने हेतु और संकटग्रस्त बैंकों के बारे में एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त विधायी परिवर्तन प्रस्तावित किए जाएंगे।	विश्व भर में प्रंशसा-प्राप्त फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन के अनुसरण में बैंक डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन की योजना बनाई जा रही हैं। एक अध्ययन दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 13 जनवरी, 2003 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
49.	**पैरा सं. 49:** आगामी वर्ष के भीतर आईडीबीआई का निगमीकरण करने हेतु विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे उपयुक्त गतिशीलता प्रदान की जा सके । इस बीच आईडीबीआई के श्रेणी-एक पूंजी को मौजूदा आईबीआरडी के रूपांतरण द्वारा मजबूती प्रदान की जा रही है और एनआईसी (एलटीओ) ऋणों को उपयुक्त दीर्घकालिक लिखतों में बदला जा रहा है।	"आईडीबीआई का निगमीकरण करने संबंधी विधेयक को लोकसभा में 4 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को वित्त विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।
50.	**पैरा सं. 49:** वर्ष 2000 में कम्पनी अधिनियम, 1956 में किए गए कतिपय संशोधनों के परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा कुछ चूकों के मामले में निदेशक चयन हेतु अयोग्य हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के नामित निदेशकों को इस उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।	इस संबंध में एक परिपत्र दिनांक 22 मार्च, 2002 को जारी कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
51.	**पैरा सं. 50:** बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली शाखाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति से कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी बैंकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे या तो अपने मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करें या सहायक बैंकों के रूप में अपनी स्थापना करें । किसी भी विदेशी बैंक को दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा। ऐसे सहायक बैंकों को सभी बैंकिंग विनियमों का पालन करना होगा जिसमें अन्य स्वदेशी बैंकों के संबंध में लागू प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने वाले मानदंड भी शामिल होंगे । ऐसी सहायक कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत के मतदान के अधिकार की अधिकतम उच्च सीमा में छूट प्रदान करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।	मंत्रीमंडलीय टिप्पणी के मसौदे पर भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है तथा यह मामला विचाराधीन है।
52.	**पैरा सं. 52:** राष्ट्रीय आवास बैंक एक बंधक ऋण गारंटी स्कीम प्रारंभ करेगा जिसे सभी आवास ऋणों के संबंध में	राष्ट्रीय आवास बैंक चार विदेशी भागीदारों के साथ व्यापार तथा सहयोग संबंधी योजना तैयार करने पर कार्रवाई कर

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	मुहैया कराया जाएगा जिससे ऋणदाताओं की चूक के विरूद्व पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी । यह आवास ऋणों को और अधिक समर्थनीय बनाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण की पहुंच में भी बढ़ोतरी होगी ।	रहा है। इसे 2003-04 के दौरान आरम्भ किए जाने की योजना है।
53.	**पैरा सं. 52ः** स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम के अधीन लक्ष्य को वर्ष 2002-2003 के लिए 2.25 लाख तक बढ़ाना प्रस्तावित है।	बैंको तथा आवास वित्त कंपनियो को संवर्धित लक्ष्य जारी किए गए हैं। दिसम्बर, 2002 तक, इस योजना के अंतर्गत 76,000 ग्रामीण आवासीय यूनिट शामिल किए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
54.	**पैरा सं. 53ः** अनिवासी भारतीयों के लिए जमा स्कीमों की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी। मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर(बी)) स्कीम और अनिवासी बाह्य रुपया (एन.आर.ई.) स्कीम प्रत्यावर्तनीय बनी रहेगी।	भारतीय रिजर्व बैंक ने **फेमा** के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
55.	**पैरा सं. 53ः** अनिवासी भारतीयों को पूर्णतः परिवर्तनीयता प्रदान नहीं करने वाली स्कीमों को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाते में मौजूदा शेष को परिपक्वता पर परिवर्तनीय अनिवासी बाह्य रुपया खाते में जमा करने की अनुमति दी जाएगी।	भारतीय रिजर्व बैंक ने **फेमा** के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
56.	**पैरा सं. 53ः** अनिवासी भारतीय भारत में किराए, लाभांश, पेंशन, ब्याज और इसके समान अन्य अपने वर्तमान अर्जनों को उपयुक्त प्रमाणन के आधार पर विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।	भारतीय रिजर्व बैंक ने **फेमा** के अंतर्गत 14 मई, 2002 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
57.	**पैरा सं. 53ः** विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अब 50 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा से अधिक स्वचालित मार्ग के माध्यम से वार्षिक आधार पर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती है ।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मार्च, 2002 को *फेमा* के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
58.	**पैरा सं. 53ः** बाजार खरीद द्वारा विदेश में संयुक्त उपक्रमों में समुद्रपारीय निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से अधिक अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसा किसी पूर्वानुमोदन के बिना कर सकती है ।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च, 2002 को *फेमा* के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
59.	**पैरा सं. 53ः** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अच्छे निष्पादन रिकार्ड वाले कार्पोरेट्स को विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं में चेयर्स की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपायों, जिनसे विदेश में समुदाय को लाभ मिलने की संभावना हो, के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय से निधियों में अंशदान की अनुमति दी जाएगी ।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च, 2002 को प्राधिकृत डीलरों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60.	**पैरा सं. 53:** भारतीय म्युचुअल फंडों को अब मौजूदा सीमाओं में पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्राओं वाले देशों में मूल्यबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पहले ऐसे निवेश की अनुमति समुद्रपारीय बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में ही दी जाती थी।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मार्च, 2002 को प्राधिकृत डीलरों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
61.	**पैरा सं. 53:** विदेशी वाणिज्यिक उधारों का पूर्व-भुगतान ईईएफसी खाते में उपलब्ध शेष की सीमा, जो इस समय निर्यात आय के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, तक अनुज्ञेय है । विदेशी वाणिज्यिक उधार धारकों को निम्न ब्याज दरों से लाभ उठाने योग्य बनाने के लिए निर्यात आय से उच्चतर राशि के उपयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा ।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च, 2002 को इस आशय का परिपत्र जारी कर दिया है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
62.	**पैरा सं. 53:** पूंजी खाता लेन-देनों को और उदार बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्ड (एफसीसीबी) स्कीम को 50 मिलियन अमरीकी डालर तक स्वचालित मार्ग के अधीन रखने का प्रस्ताव किया जाता है ।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मार्च, 2002 को *फेमा* के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
63.	**पैरा सं. 54 :** सरकार आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त वित्तीय लेन-देनों से सम्बद्ध संदिग्ध हवाला आपरेटरों/अवैध रूप से मुद्रा का लेन-देन करने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार देने के लिए संसद के वर्तमान सत्र के दौरान एक उचित विधान लाने का प्रस्ताव करती है ।	आतंकवादी निरोध अधिनियम, 2002 को दि. 28.3.2002 को अधिनियमित किया गया था और उसमें आतंकवादी गतिविधियों तथा आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध मुद्रा का लेन-देन करने सहित उससे जुड़े मामलों से निपटने की व्यवस्था है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
64.	**पैरा सं. 55:** तेल पूल खाते को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा और बकाया शेष का समापन संबंधित तेल कंपनियों को ऑयल बाण्ड जारी करके किया जाएगा ।	तेल पूल खाते को 31 मार्च, 2002 को समाप्त कर दिया गया है और सरकार ने तेल पूल खाते के एवज में तेल कम्पनियों की बकाया राशि की आंशिक रूप से पूर्ति करने के लिए 30 मार्च, 2002 को "6.96 प्रतिशत तेल कम्पनियां भारत सरकार विशेष बॉडस, 2009" जारी किए हैं । शेष राशि हेतु बांडों को नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करने के बाद जारी किया जाएगा । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
65.	**पैरा सं. 55:** निजी कम्पनियों को निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन पेट्रोलियम क्षेत्र में वितरण की अनुमति दी जाएगी।	सरकार ने 8 मार्च, 2002 के संकल्प द्वारा निजी क्षेत्र सहित नए प्रतियोगियों को एमएस, एचएसडी तथा एटीएफ नामक ईंधनों को बाजार में परिवहन का प्राधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है । पहले ही चार कम्पनियों अर्थात् आरपीएल, एस्सार ऑयल, ओएनजीसी तथा एन आर एल को प्राधिकार प्रदान कर दिया गया है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
66.	**पैरा सं. 55:** इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड गठित किया जाएगा ।	पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 संसद में प्रस्तुत किया गया है ।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
67.	**पैरा सं. 55 :** प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी वर्ष 1997 में लिए गए सरकार के निर्णय ने एलपीजी और मिट्‌टी के तेल पर पहली अप्रैल, 2002 तक सब्सिडी क्रमशः 15 और 33 प्रतिशत कम करने का अधिदेश दिया। तद्नुसार, 1 अप्रैल, 2002 से एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्‌टी के तेल का मूल्य बढ़ाया जा रहा है। ये सब्सिडियां 1 अप्रैल, 2002 से समेकित निधि द्वारा वहन की जाएंगी। एलपीजी और मिट्‌टी के तेल पर सब्सिडी पहली अप्रैल, 2002 से निर्दिष्ट एक समान दर पर होगी। खुदरा मूल्य तब अंतराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में परिवर्तन के साथ भिन्न-भिन्न होगा।	1 मार्च, 2002 से घरेलू एलपीजी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्‌टी के तेल की खुदरा बिक्री कीमतों में क्रमशः लगभग 40/- रूपए प्रति सिलिंडर तथा 1.50/- रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई । बाद में 17 मार्च, 2002 से घरेलू एलपीजी की कीमतों में लगभग 20 रूपए प्रति सिलिंडर की कमी की गई । पीडीएस मिट्‌टी के तेल तथा घरेलू एलपीजी पर पश्च एपीएम सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम को 28 जनवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
68.	**पैरा सं. 58:** वित्तीय पुनर्संरचना के लिए औद्योगिक तथा अन्य कंपनियों द्वारा कानूनी मार्गों के उपयोग के अतिरिक्त कार्पोरेट ऋण पुनर्सरंचना के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है । इसके संचालन को और अधिक कुशल बनाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में बैंकरों एवं अन्य सदस्यों को शामिल कर एक लघु समूह का गठन किए जाने का भी प्रस्ताव है।	इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी, 2003 के परिपत्र के तहत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
69.	**पैरा सं. 61:** लघु व्यवसायियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों, व्यावसायिकों तथा अति लघु क्षेत्र में लगे व्यक्तियों सहित स्व नियोजित व्यक्तियों को बिना किसी जटिलताओं तथा उधारकर्ता के अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी) नामक एक योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है ।	लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी) योजना दिनांक 12.11.2001 को आरम्भ की गई है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
70.	**पैरा सं. 62:** बुने हुए वस्त्रों, कतिपय कृषि उपकरणों, मोटरवाहन संघटकों, कुछ रसायनों तथा औषधियों एवं अन्यों की 50 से अधिक मदों को अब अनारक्षित कर दिया जाएगा ।	दिनांक, 20 मई, 2002 की अधिसूचना के माध्यम से 51 मदें अनारक्षित की गई हैं तथा 2 मदों का नामकरण परिवर्तित कर दिया गया है । 9 अक्तूबर, 2001 को बुने हुए वस्त्र के लिए निवेश की उच्चतम सीमा 1 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
71.	**पैरा सं. 67:** आईआरडीए ने व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित अंशदान आधार पर अभिदान करने योग्य बनाने के लिए एक पेंशन निधियां गठित करने के लिए एक विनियामक ढांचे की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर 30 जून, 2002 तक कार्रवाई की जाएगी।	यह मामला इस प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के दल के विचाराधीन है।
72.	**पैरा सं. 68:** जरूरतमंद आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा "जनरक्षा" नामक एक बीमा स्कीम तैयार की जा रही है। इसके अधीन कोई	नैशनल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा दिनांक 15.1.2003 को "जन रक्षा" पालिसी आरम्भ की गई है । कंपनी पहले 100 पालिसियों की बिक्री कर चुकी है तथा यह उम्मीद की

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	भी व्यक्ति बीमा प्रीमियम के रूप में 1 रुपए प्रतिदिन के भुगतान से चयनित और निर्धारित अस्पतालों में प्रति वर्ष 30,000 रुपए तक का अंतरंग उपचार कराने का हकदार होगा। निर्धारित क्लिनिकों, जिसमें सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, निजी न्यास अस्पताल और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही अन्य संस्थाएं शामिल होंगी, में प्रतिवर्ष 2000 रुपए तक का बहिरंग उपचार भी शामिल किया जाएगा।	जाती है कि 31 जनवरी, 2003 तक 500 पालिसियां जारी की जाएंगी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
73.	**पैरा सं. 70 :**वैज्ञानिक व्यवसायों में महिलाओं के अधिक संख्या में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का आशय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में कम से कम 100 छात्रवृत्तियां देना है।	"महिला वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजना" आरम्भ की गई है तथा इसके अंतर्गत वार्षिक रूप से लगभग 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी । इस योजना के लिए सहायता हेतु लगभग 5000 महिला वैज्ञानिकों ने पहले ही सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
74.	**पैरा सं. 71:** प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किशोर बालिकाओं तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा ।	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के गठन की प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जा रहा है । योजना आयोग ने पहचान किए गए 51 जिलों में अल्प पोषित किशोर बालिकाओं, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए वर्ष 2002-03 में राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 103.33 करोड़ रूपए का आवंटन किया है । वर्ष 2002-03 के लिए सभी राज्यों को 53.95 लाख रूपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है । पायलट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं ।
75.	**पैरा सं. 72:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की जाएगी।	राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरिता विहार, नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल के नजदीक 4.5 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। अस्पताल संयुक्त उद्यम के प्रबंधन के अंतर्गत होने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत सरकार की अल्प शेयरधारिता होगी। "रुचि की अभिव्यक्ति" की संवीक्षा के लिए गठित समिति के समक्ष 10 मेडिकल/फार्मास्युटिकल कंपनियों ने प्रस्तुतीकरण किया है। अस्पताल की स्थापना के लिए 29 सप्ताह के भीतर एक व्यवहार्य निजी भागीदारी की पहचान करने के लिए दिनांक 28.1.03 को "राइट्स" के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
76.	**पैरा सं. 77:** उद्यमों में नवाचार के परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा लघु नवाचारों के लिए एक लघु उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है।	"सिडबी" ने निधि के लिए 5 करोड़ रुपए का अपना अंशदान जारी कर दिया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
77.	**पैरा सं. 81:** राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध विधेयक संबंधी संसदीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो गई है तथा चालू सत्र के दौरान इस विधेयक को विचारार्थ संसद के समक्ष रखा जाएगा।	संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध विधेयक, 2000 में संशोधनों को लाया जाएगा।
78.	**पैरा सं. 85:**	
	* ईआरसी ने 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया है, जिनकी कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 8.65 लाख है। इन मंत्रालयों/विभागों में पहचान किए गए 42,200 अधिशेष जनशक्ति में से लगभग 12,200 पदों को मार्च, 2002 के अन्त तक समाप्त किए जाने की आशा है। शेष रिपोर्टों पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है।	अभी तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समाप्त किए जाने हेतु लगभग 23901 पदों की पहचान की गई है तथा इनमें से लगभग 12,898 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। पदों को समाप्त करने में हुई प्रगति की लगातार मानीटरिंग की जा रही है।
	* कुल सिविलियन स्टाफ के 1 प्रतिशत तक नवीन भर्ती को सीमित करने संबंधी निर्णय को आगामी 4 वर्षों के लिए निरंतर कार्यान्वित किया जाएगा।	नवीन भर्ती को कुल सिविलियन स्टाफ के 1 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय जारी रहेगा।
79.	**पैरा सं. 86:** उत्पादन प्रणाली में अकुशलताओं को दूर करके उर्वरक सब्सिडी जिसे उत्पादकों द्वारा निर्गम मूल्यों में समय-समय पर बढ़ोतरियों के कारण पहले सरकार की जिम्मेदारी बनाया गया था, को नियंत्रित करने के प्रयत्न किए गए हैं। व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत मूल्य बढ़ाने चाहिएं और अगले पांच वर्षों में नियंत्रण मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तद्नुसार, यूरिया डीएपी और एसओपी के निर्गम मूल्य में लगभग 5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि और एसएसपी के लिए सब्सिडी प्रति टन 50 रुपए करना प्रस्तावित है। जटिल उर्वरकों की कीमतों को भी उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।	एक नियंत्रित उर्वरक अर्थात् यूरिया तथा डीएपी, एमओपी तथा जटिल उर्वरकों (अनियंत्रित उर्वरक) के अधिकतम खुदरा मूल्यों में 28 फरवरी, 2002 से पहले ही वृद्धि की जा चुकी है तथा एसएसपी के लिए सब्सिडी की दर को प्रति मैट्रिक टन 50 रुपए कम कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
80.	**पैरा सं. 88:** डाक सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण डाक दरों में मामूली वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित डाक दरों को 1 जून, 2002 से लागू कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
81.	**पैरा सं. 89:** प्रशासित ब्याज दरों को अब द्वितीयक बाजार में समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत वार्षिक लाभ तक सीमित रखा जाएगा। तद्नुसार, 1 मार्च, 2002 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों को 50 आधार अंकों तक घटाया जा रहा है। भविष्य में ऐसे समायोजन गैर-विवेकाधीन स्वतः आधार पर वार्षिक रूप से किए जाएंगे। लघु बचत जमाराशियों पर ब्याज दरों में कटौती के लाभ को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।	अधिकांश लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दर को दिनांक 1 मार्च, 2002 से 50 आधार अंक तक घटा दिया गया है। राज्यों को दिए ऋण पर ब्याज को भी 50 आधार अंक तक घटा दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
82.	**पैरा सं. 89:** भारत सरकार राहत बांडों के लिए ब्याज दर में भी 50 आधार बिन्दु की तद्नुरूप कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन बांडों में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की जा रही है।	इस बारे में 28 फरवरी, 2002 को एक अधिसूचना जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
83.	**पैरा सं. 89:** लघु बचतों से प्राप्त सकल निवल आय के 80 प्रतिशत अंतरण की वर्तमान दर को बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को कम ब्याज दर के लाभ सहित लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी उपलब्ध होगी।	1 अप्रैल, 2002 से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) की सरकारों को सकल निवल लघु बचत संग्रहणों को अंतरित किया जा रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
84.	**पैरा सं. 89:** राज्य सरकारें कम ब्याज दर पर उपलब्ध इन अतिरिक्त संसाधनों से अपने पिछले उच्च लागत ऋण की पूर्व-अदायगी कर सकेंगी। राज्य सरकार की लघु बचत ऋण की पूर्व-अदायगी के प्रतिमान को राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।	ऋण अदला-बदली स्कीम कार्यान्वयन के अधीन है।
85.	**पैरा सं. 89:** राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज दर को 50 आधार अंकों द्वारा घटाया जा रहा है।	दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों को ऋणों पर ब्याज दर को 50 आधार पर अंकों द्वारा घटा दिया गया है और 11.50 प्रतिशत पर निर्धारित कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
86.	**पैरा सं. 91:** सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है तथा नयी भर्तियों के लिए 1 जून, 2002 तक पेंशन योजना घोषित और कार्यान्वित कर दी जाएगी।	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22 फरवरी, 2002 को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में निहित अनुशंसाएं विचाराधीन हैं।
87.	**पैरा सं. 92:** हमें आशा है कि हम इस वर्ष 6 अन्य कंपनियों तथा एचसीआई और आईटीडीसी के शेष होटलों में विनिवेश कार्य को पूरा कर लेंगे। वर्ष 2002-03 के लिए विनिवेश प्राप्तियां 12,000 करोड़ रुपए की होंगी।	वर्ष 2002-03 में विनिवेश के लिए लक्षित छह कंपनियों में से एचजेडएल, आईपीसीएल तथा एमयूएल का विनिवेश कर दिया गया है। नेपा, बीएचपीवी तथा आईसीवीएल (पलक्कड) यूनिट का विनिवेश कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, आईटीडीसी के दस होटलों और होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक होटल का विनिवेश किया गया था। चेफेयर, मुम्बई, सेंटूर होटल, एयरपोर्ट, दिल्ली (चेफेयर, दिल्ली सहित), आईटीडीसी के छह होटल तथा आईटीडीसी के सात संयुक्त उद्यम होटल विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 12,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, विनिवेश प्राप्तियां लगभग 3342 करोड़ रुपए की थी। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के विनिवेश से प्राप्त 18.18 करोड़ रुपए की राशि का मामला उच्च न्यायालय, कोलकाता का निर्णय मिलने तक लंबित है।